न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 99/2015

1. परमजीतसिंह पुत्र विचित्रसिंह
2. सुखदेवसिंह पत्र अमरसिंह
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र गजनसिंह
4. सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिन्दासिंह पुत्र गजनसिंह

जाति जटसिख निवासीगण 71 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

गुरदयालसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 72 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
दिनांक 21.01.2014

उपस्थितः—

श्री कुलविन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 15.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो. ने उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251ए का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 72आर.बी. के नया मु.नं. 13 से 15 व पुराना 27 से 29 के कि.नं. 21 से 25 में 0.025—0.025है0 रास्ता चालू है। अप्रार्थी ने उक्त रास्ता को रूकावट पैदा कर बन्द करना चाहते हैं। उपरोक्त मुरब्बे के कि.नं. 21 से 25 में प्रत्येक में 0.025है0 भूमि पूर्व में रिकार्ड में खाला है। उक्त रकबा, रकबा राज भूमि है तथा मौके पर रास्ता अप्रार्थीगण जानबूझ कर कब्जा करने की धमकी दे रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे

15/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किसी प्रकार से रास्ता में बाधा नहीं डाले एवं रास्ता को बन्द नहीं करें। अप्रार्थीगण ने जबाब पेश कर कथन किया कि मौका पर रास्ता चालू नहीं है एवं प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अधी.न्यायालय दिनांक 21.01.2014 को प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

अपील पेश होने पर रेस्पों. को जरिये रजि.एडी सम्मन तलब किया गया जो लेने से इन्कारी के साथ वापिस प्राप्त हुआ। रिकार्ड तहत बार–बार तलब करने के उपरांत नहीं प्राप्त होने से वकील अपीलांट के निवेदन पर अधी. न्यायालय की पत्रावली के बिना ही बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौका पर रास्ता चालू नहीं है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र के गुणावगुण का निर्णय अपीलाधीन आदेश के द्वारा कर दिया है। अपीलाधीन आदेश में प्रार्थीगण का किस प्रकार से मामला बनता है इसका विवेचन नहीं किया है और न ही धारा 212आर.टी.ए. के तीनों बिन्दुओं का कोई विवेचन नहीं किया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर, नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे।

बहस पर मनन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 21.01.2014 के विरूद्ध दिनांक 16.04.2014 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य पेश किए हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा उपस्थित होकर पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 21.01.2014 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा अधी. न्यायालय द्वारा राज.काश्त. अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र स्वीकार किया है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय ने धारा 251ए आर.टी.ए. के प्रा.पत्र के गुणावगुण

पर विवेचन करते हुए प्रा.पत्र स्वीकार किया है जबकि राज.काश्त.अधि. की धारा 212 के प्रा.पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सम्बन्ध में तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन अपरिहार्य है जिनका अधी. न्यायालय द्वार विवेचन करना तो दूर जिक्र तक नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2014 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर